राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

–::आवश्यक सूचना::–

(विज्ञापन सं०–05/2020)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या–05/2020 (PR No. 2874/2020-21) द्वारा Certificate in Community Health के लिए GNM/B.Sc Nursing के पद पर नामांकन–सह–चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर Shortlist अभ्यर्थियों का Merit के आधार पर 1:2 के अनुपात (संबंधित कोटि में उपलब्ध अभ्यर्थियों के आधार पर) में दिनांक 16 से 22 अगस्तर, 2020 तक ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये प्रमाण–पत्रों का सत्यापन दिनांक 18.08.2020 से 23.08.2020 तक कराया गया। किन्तु अभ्यर्थियों द्वारा काफी कम संख्या में प्रमाण–पत्रों को अपलोड किया गया। फलस्वरूप अभ्यर्थियों को दिनांक 26 से 28 अगस्त, 2020 तक उपस्थित हो कर प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु बुलाया गया। इस अवधि विशेष में भी अभ्यर्थियों की उपस्थिति पर्याप्त नहीं रही।

संभवतः वैश्विक महामारी कोरोना (COVID-19) के लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों को तकनीकी कठिनाइयों के कारण अभ्यर्थियों द्वारा संगत प्रमाण–पत्रों को अपलोड/जमा नहीं किये जाने की अंदेशा से इन्कार नहीं किया जा सकता। चूँकि प्रमाण–पत्रों की सत्यापन में कुछेक अभ्यर्थियों द्वारा संगत अंकपत्र, Nursing Council का Expired Registration, Category Document जमा/अपलोड नहीं करना, IGNOU Application Form और Surety Bond का जमा नहीं किया जाना, आदि। अतः **अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।**

संबंधित अभ्यर्थियों की अलग–अलग सूची (**ANNEXURE – A, B, C, D & E**) वेबसाईट– **statehealthsocietybihar.org** पर प्रकाशित की गयी है। संबंधित अभ्यर्थी निम्नानुसार नियत तिथि/समय पर **Document Verification/Counselling** हेतु उपस्थित हो सकते हैं:–

ANNEXURE – A हेतु निर्धारित तिथि/समय

CCH for	तिथि एवं समय		Sl. No. (Annexure – (A) (प्रकाशित सूची के अनुसार)	अभ्यर्थियों की संख्या	स्थान
GNM/B.Sc Nursing	07.09.20 (सोमवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1-129	129	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना–14
		02:00 PM - 05:00 PM	130-259	130	
	08.09.20 (मंगलवार)	10:00 AM - 01:00 PM	260-389	130	
		02:00 PM - 05:00 PM	390-519	130	
	09.09.20 (बुधवार)	10:00 AM - 01:00 PM	520-679	130	
		02:00 PM - 05:00 PM	649-779	130	

पहले चरण (Morning) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 09:30 AM एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 01:30 PM निर्धारित किया गया है।

2. **ANNEXURE – B, C, D & E हेतु निर्धारित तिथि/समय**

ANNEXURE – B, C, D & E सूची के अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पूर्व में दिनांक 16 से 22 अगस्त, 2020 तक ऑनलाईन प्रमाण–पत्र सत्यापन अथवा दिनांक 26 से 28 अगस्त, 2020 तक ऑफलाईन प्रमाण–पत्र सत्यापन में अपना प्रमाण–पत्र अपलोड/जमा किया गया है तथा अपलोड किये गये प्रमाण–पत्रों में त्रुटि/कमी पायी गयी है, वैसे अभ्यर्थी **दिनांक 07 से 08 सितम्बर, 2020 के पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 5 बजे तक**

Scanned with CamScanner

उपस्थित होकर उनके प्रमाण–पत्रों में पायी गयी निम्नांकित त्रुटियों/कमियों के निराकरण हेतु संगत कागजात/प्रमाण–पत्र समर्पित करेंगेः–

(i) जिनके द्वारा अंकपत्र अपलोड नहीं किया गया है।
(ii) जिनका Nursing Council का Registration Expired है।
(iii) जिनके द्वारा IGNOU Application Form और Surety Bond जमा नहीं किया गया है।
(iv) जिनका आरक्षण/दावा संबंधी Document अपलोड/जमा नहीं है।

3. वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अबतक ऑनलाईन या ऑफलाईन document उपलब्ध नहीं कराया गया है वे निम्नानुसार सभी प्रमाण–पत्रों की एक–एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो कर प्रमाण–पत्र सत्यापन करायेंः–

(i) फोटोयुक्त पहचान–पत्र (मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस)।
(ii) जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र।
(iii) **Essential Qualification for GNM/B.Sc Nursing:**
- General Nurse and Midwifery (GNM) from a recognized institute/ Bachelor of Science in Nursing from recognized university/ institution.

(iv) Candidate should have permanent registration from India Nursing Council/ any state Nursing Council. Selected candidates should provide permanent registration from Bihar Nursing Registration Council (BNRC), Patna before joining as CHO.
(v) आरक्षण का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीद्वारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र लाना अनिवार्य है)।
(vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरीत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
(viii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबधी घोषणा–पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।
(ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र लाना अनिवार्य है।
(x) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब Document Verification के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
(xi) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र।
(xii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण–पत्र।

Scanned with CamScanner

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

4. CHO में नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को IGNOU Application Form एवं Surety Bond को भरकर लाना अनिवार्य होगा। IGNOU Application Form एवं Surety Bond के बिना आपकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. यदि कोई अभ्यर्थी Document Verification में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण–पत्र नहीं लाते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

6. योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, Cut-off date-(01.01.2020) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

7. निर्धारित तिथि को Document Verification/Counselling हेतु उपस्थित नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी एवं फलस्वरूप उन्हें मेधासूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

8. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाईट–statehealthsocietybihar.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाईट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/Email के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

5/9/20

(राजेश कुमार)
उप सचिव–सह–
प्रभारी, मानव संसाधन

Scanned with CamScanner